कार्यालय,संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
दूरभाष–07662–255635 फैक्स–07662–256635
E.mail-jddpirew-mp@nic.in

क्रमांक / सर्त / प्र.अध्या. / निलं / 2012 / 2235 रीवा,दिनांक:– 23/8/12

आदेश

शिकायतकर्ता श्री गॉधी प्रसाद चौरसिया निवासी ग्राम महसॉव तहसील गुढ़ जिला रीवा द्वारा कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत शिकायती आवेदन कार्यालयीन पत्र क्रमॉक / सर्त. / शिका. / 2012 / 2234 रीवा, दिनॉक 23.8.2012 के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी सतना को भेजकर प्रतिवेदन चाहा गया । जिला शिक्षा अधिकारी सतना के पत्र क्रमॉक / 949 / विद्या / टी.सी. / 2012 सतना, दिनॉक 23 अगस्त 2012 के माध्यम से प्रतिवेदित किया है कि शासकीय हाईस्कूल कामता टोला सतना के प्राचार्य / कर्मचारियों एवं शिकायतकर्ता श्री गॉधी प्रसाद चौरसिया से प्राप्त कथन जानकारी से प्रारंभिक रूप से यह तथ्य परिलक्षित हुआ है कि श्रीमती रोशन आरा मंसूरी प्रधानाध्यापक शा.माध्यमिक शाला कामताटोला अपूर्ण टी.सी.जारी करने के लिए उत्तरदायी है।

प्रथम दृष्टया लोक सेवक होने के नाते श्रीमती रोशन आरा मंसूरी द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई है।

श्रीमती रोशन आरा मंसूरी का उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम (1) (2) (3) के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी का कृत्य है।

अतः उपरोक्त आरोप में श्रीमती रोशन आरा मंसूरी प्रधानाध्यापक शासकीय हाईस्कूल कामताटोला जिला सतना को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम –9 (क) में वर्णित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सोहावल जिला सतना नियत किया जाता है। श्रीमती मंसूरी को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / सर्त / प्र.अध्या. / निलं / 2012 / 2236 रीवा,दिनांक:– 23/8/12

प्रतिलिपिः–

1. कमिश्नर रीवा संभाग रीवा।
2. कलेक्टर सतना ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला सतना ।

22/3/017

अनुभाग अधिकारी,
मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
(कक्ष - 4)